न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

ना0 अपील सं0 57/2008

शिम्भू पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा ..अपी0

बनाम

1. घासी
2. हजारी
3. रामधन पिसरान मंगला जाति मीणा निवासी ग्राम रामसिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण सं0 68 दिनांक 23.12.2006 व न्यायालय तहसीलदार, दौसा

उपस्थिति–1. श्री कुंजबिहारी शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

निर्णय दिनांक:11.10.17

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 23.12.2006 को नामान्तरकरण सं0 68 अप्रार्थी सं0 एक लगायत तीन के नाम वसियत के आधार पर तस्दीक कर दिया गया । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि आराजी खसरा नंबर 3/91 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 4 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 5 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 5/92 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 6 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 6/93 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 11 रकबा 1.33 है0, खसरा नंबर 11/94 रकबा 0.49 है, खसरा नंबर 12 रकबा 0.10 है, खसरा नंबर 13 रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 14 रकबा 0.10 है, खसरा नंबर 15 रकबा 0.07 है, खसरा नंबर 26 रकबा 0.37 है, खसरा नंबर 27 रकबा 0.01 है, खसरा नंबर 28 रकबा 0.16 है, कुल किता 16 कुल रकबा 3.62 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा मे स्थित है। उक्त आराजी पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 उसके पिता के जीवनकाल से ही आपसी सहमति से बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 के पिता का स्वर्गवास हो गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 ने आपसी साजिस करके अपीलांट को नुकसान पहुचाने की गरज से रेस्पोडेंट 04 से विधिविरूद्ध तरीके से नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 23.12.2006 को तस्दीक करा लिया, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने उक्त जेर अपील नामांतकरण विधि तथ्यों एवं प्रकिया के विपरीत तस्दीक किया है, जेर अपील नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व न तो मृतक के विधिक वारिसान की जांच करी और नही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया

जबकि न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की, कब्जे की जांच कर समस्त विधिक वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करके ही नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के समस्त सिद्धांत को अनदेखा कर मात्र रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 से साज कर जेर अपील नामांतकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रूटि की है, जिस रजिस्टर्ड वसीयत को आधार मानकर तस्दीक किया है की सत्यता व वैधता पर सुनवाई करके जांच करके तस्दीक नही किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय को विरासता का नामांतकरण तरदीक करने से पूर्व वसीयत के अतिरिक्त मृतक के विधिक वारिसान को सुनवाई करके ही कार्यवाही की जानी चाहिए थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मनमर्जी से रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 03 से साज कर दी गई, अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो पटवारी द्वारा मौके के कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त की और नही स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण किया मात्र पटवारी की वसीयत के आधार पर रिपोर्ट कर नामांतकरण भरकर देने पर ही बिना विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये मनमर्जी से विधिविरूद्ध नामांतरकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है, अपीलांट द्वारा दिनांक 23.01.2007 को अपने ग्राम में राजस्व अभियान के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतरकरण खोलने हेतु आवेदन किया तो नामांतरकरण संख्या 68 जेर अपील की जानकारी हुई जिस पर उक्त अवैध आदेश की नकल लेकर अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पो0 उपस्थित नहीं आयें। ऐसी स्थिति में पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम रामसिंहपुरा भूमि कुल किता 16 कुल रकबा 3.62 है0 मे स्थित है। जिस पर मूल रुप से अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य नामांतकरण संख्या 68 दिनांक 23.12.2006 के संबंध में आपसी विवाद है। हॉलाकि हम इस बात से सहमत है कि नामांतकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर व उनको सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को अनदेखा कर जेर अपील नामांतकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रूटि किया जाना प्रतीत होता है। प्रकरण में सीधा ही कोई कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्याय हित को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2006 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर इस न्यायालय के प्रकाश में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 11 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा